प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2
तुलसीपुर, बलरामपुर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग,
जनपद– महराजगंज।

पत्रांक 760/रानिख–2,तुब/ दिनांक 24.09.2020

विषयः– कैम्पियरगंज शाखा के किमी0 51.000 से 62.106 के मध्य वनभूमि से आच्छादित भूमि के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में।**(प्रस्ताव संख्या–FP/UP/CANAL/44512/2020)**

संदर्भ–: आपका पत्रांक 1921/31–1/दिनांक 19.09.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा कैम्पियरगंज शाखा के किमी0 51.000 से 62.106 के मध्य लक्ष्मीपुर रेंज के अंतर्गत वनभूमि से आच्छादित भूमि 0.40 हे0 के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/UP/CANAL/44512/2020 प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में आच्छादित 0.40 हे0 वनभूमि के स्थान पर 0.40 हे0 गैर वानिकी भूमि प्रभागीय वनाधिकारी, वन्य जीव प्रभाग, सोहेलवां जनपद–बलरामपुर को हस्तानान्तरित करायी गयी है। आप द्वारा पार्ट–बी को ऑनलाइन करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद–बलरामपुर से Certificate from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view एवं a copy of CA scheme details के सम्बन्ध में वांछना की गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन्य जीव प्रभाग, सोहेलवां जनपद–बलरामपुर ने अपने पत्र संख्या– 1186/35–1/दिनांक 19.09.2020 द्वारा वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये है।

कृपया पार्ट–बी की कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रस्ताव अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्नक–: उपरोक्तानुसार।

24/09/2020

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर बलरामपुर

पत्रांक– /रानिखं–2,तुब/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1– अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल–2 बस्ती।

2– सहायक अभियन्ता–तृतीय, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2, तुलसीपुर बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर बलरामपुर

Email ID- sohelwadfo@rediffmail. com
Email ID- dmusohelwa@gmail.com
☎ - (05263) 233842
FAX – (05263) 233842

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।

पत्र सं0 :- /35-1 दिनॉक, सितम्बर, 19 ,2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग
महराजगंज ।

विषय– कैम्पियरगंज शाखा के 51.00 से 62.106 के मध्य वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपके कार्यालय पत्रांक–1672 / 35–1 दिनांक 09.09.2020

महोदय,

आप द्वारा अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि "इस वन प्रभाग के लक्ष्मीपुर रेंज अन्तर्गत 0.4 हे0 वनभूमि के सापेक्ष Proposal No-44512/2020 ऑनलाइन हेतु प्राप्त हुआ है, उक्त 0.4 हे0 वनभूमि के सापेक्ष आपके वन प्रभाग में 0.4 हे0 भूमि यूजर एजेंन्सी द्वारा दी गयी है। प्रस्ताव के आनलाइन पार्ट–।। भरने हेतु suitability of area identified for compensatory afforestation and copy of CA scheme details की आवश्यकता है। आपके संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद–बलरामपुर, तहसील–तुलसीपुर, ग्राम–पचपेड़वा के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु, उपलब्ध करायी जाने वाली प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या–389 / 0.40 हे0 का suitability of area identified for compensatory afforestation and copy of CA scheme details जारी करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, भांभर से उपप्रभागीय वनाधिकारी, तुलसीपुर के माध्यम से आख्या मांगी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, भांभर एवं उपप्रभागीय वनाधिकारी, तुलसीपुर ने स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

किन्तु उपप्रभागीय वनाधिकारी, तुलसीपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक–96 / 35–1 दिनांक 14.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि *"सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर में 6.8826हे0 वनभूमि आच्छादित हो रही है, जिसके क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील तुलसीपुर के ग्राम पचपेड़वा के गाटा संख्या–395, 393, 391, 397मिलजुमला, 309 व 389 में 6.8826हे0 भूमि सिंचाइ विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जनपद महराजगंज में आच्छादित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष उपरोक्त ग्राम के गाटा संख्या–389 में ही 0.400 हे0 वनभूमि अतिरिक्त रुप से दी जा रही है। पूर्व में उपलब्ध करायी गयी भूमि 6.8826हे0 अभी वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है न ही इसका धारा 4 का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। यदि धारा 4 का प्रस्ताव प्रेषित कर दिया*

जो तो गाटा संख्या 389/0.40 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार किये जाने में कोई बाधा नही होगी। गाटा संख्या–389/0.40है0 को सम्मिलित करते हुये सर्म्पूण क्षेत्रफल (7.2826 है0) का अमलदामद व धारा 4 का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने साथ ही अनापत्ति दी जा सकेगी। वृक्षारोपण हेतु भूमि (389/0.400) उपयुक्त है।''

उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव विभाग (अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर खण्ड–II, तुलसीपुर, बलरामपुर) द्वारा Geo-referenced map तथा Survey of India Toposheet भी उपलब्ध कराये गये है।

चूंकि वर्तमान में उक्त प्रस्तावित 0.40 है0 भूमि, **RF/PF** से सटी हुई नहीं है। अतः भारत सरकार के पत्रांक–**F.No. 11-423/2011-FC dated 22.05.2019** में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आवश्यक संलग्नकों सहित आख्या प्रेषित है।

संलग्नक–

1– suitability of area identified for compensatory afforestation - 5 Nos.
2– copy of CA scheme details - 5 Nos.
3– Geo-referenced map - 5 Nos.
4– Survey of India Toposheet - 5 Nos.

भवदीय

(रजनीकान्त मित्तल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग,
बलरामपुर

पत्रांक– 1186 /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड, तुलसीपुर, बलरामुपर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रजनीकान्त मित्तल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग,
बलरामपुर